जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-11.04.2025

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 11.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.फूल सिह पुत्र पातीराम निवासी ग्राम बिरालियान थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अदद अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 408 अनुज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 477 योगेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.है0का0 750 सुनील कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 11.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अहसान पुत्र वजीर निवासी मौहल्ला तलाही कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 05 अलग-अलग मामलों में 05 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 3150/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 1994 में अभियुक्त भोलू उर्फ महमूद पुत्र नूरा निवासी ग्राम भड़ी मुस्तफाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 51/195/1994 धारा 147/323/379/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजे/जेडी/जेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.- वर्ष 2014 में अभियुक्त बाबू पुत्र बुहू निवासी मौहल्ला हकीकत नगर कस्बा बनत थाना आदर्शमंड़ी जनपद शामली के विरुद्ध थाना आदर्शमंडी पर मु0अ0सं0 323/2024 धारा 3/11(घ) पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडीएसीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 50/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.- वर्ष 2024 में अभियुक्त एहसान पुत्र निसार निवासी मौहल्ला आलकला थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 81/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4.-वर्ष 2004 में अभियुक्त उम्मेद पुत्र सराफत निवासी मसावी थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 230/2004 धारा 3/5/8 गौवद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम मे आज दिनांक 11.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में में जेल में बितायी गई अवधि की सजा व 1000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

5.-वर्ष 2024 में अभियुक्त संजय उर्फ अजय पुत्र राजसिंह निवासी खेडकी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 104/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएसडी/एसीजेएम कैराना, शामली के द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है